Indian Journal of Modern Research and Reviews

This Journal is a member of the *'Committee on Publication Ethics'*

Online ISSN:2584-184X

Research Paper

राजस्थान में ग्रामीण विकास में नाबार्ड की भूमिका का अध्ययन

डॉ. कांता चौधरी [1], मंजू कंवर [2*]

[1] सहायक आचार्य, अर्थशास्त्र विभाग, जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर, राजस्थान, भारत

[2] शोधार्थी, अर्थशास्त्र विभाग, जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर, राजस्थान, भारत

Corresponding Author: * मंजू कंवर

DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.20179369

ABSTRACT

प्रस्तुत अध्ययन राजस्थान में ग्रामीण विकास में नाबार्ड (राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक) की भूमिका का विश्लेषण करता है, जिसमें कृषि ऋण प्रवाह, स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) संयोजन और संस्थागत ऋण प्रदर्शन पर विशेष ध्यान दिया गया है। अध्ययन के मुख्य उद्देश्य राजस्थान की ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर नाबार्ड के प्रभाव का आकलन करना तथा कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु ऋण सहायता विस्तार में आने वाली चुनौतियों और संभावनाओं का अध्ययन करना है। वर्ष *2011* से *2025* तक के जिलावार संचयी आंकड़ों के आधार पर ग्यारह प्रमुख जिलों में ऋण वितरण, वसूली दर, एनपीए अनुपात और एसएचजी संयोजन का तुलनात्मक मूल्यांकन किया गया है। अध्ययन के निष्कर्ष क्षेत्रीय असमानताओं को स्पष्ट रूप से उजागर करते हैं — जयपुर *₹3,850* करोड़ के ऋण वितरण और *92%* वसूली दर के साथ अग्रणी जिले के रूप में उभरा है, जबकि बाड़मेर और बीकानेर में अपेक्षाकृत कम वसूली दर और उच्च एनपीए स्तर कृषि-जलवायु संवेदनशीलता और सामाजिक-आर्थिक कमज़ोरियों को प्रतिबिंबित करते हैं। अध्ययन में कृषि ऋण पोर्टफोलियो में उच्च गैर-निष्पादित आस्तियाँ, आदिवासी क्षेत्रों में सीमित बैंकिंग अवसंरचना तथा बटाईदार किसानों का औपचारिक ऋण प्रणाली से बहिष्कार जैसी प्रमुख बाधाओं की पहचान की गई है। अध्ययन इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि केवल ऋण उपलब्धता सतत ग्रामीण विकास के लिए पर्याप्त नहीं है; इसके साथ फसल बीमा, जोखिम प्रबंधन तंत्र, डिजिटल वित्तीय सेवाओं और आजीविका विविधीकरण का एकीकरण अनिवार्य है। अध्ययन में क्षेत्र-विशिष्ट ऋण नियोजन, संस्थागत क्षमता सुदृढ़ीकरण और वित्तीय साक्षरता कार्यक्रमों के विस्तार की सिफारिश की गई है, ताकि राजस्थान में नाबार्ड के पुनर्वित्त कार्यों का विकासात्मक प्रभाव अधिकतम हो सके।

Manuscript Info.

- ✓ **ISSN No:** 2584- 184X
- ✓ **Received:** 10-09-2025
- ✓ **Accepted:** 28-10-2025
- ✓ **Published:** 30-11-2025
- ✓ **MRR:3(11):**2025;102-106
- ✓ **©2025, All Rights Reserved.**
- ✓ **Peer Review Process:** Yes
- ✓ **Plagiarism Checked:** Yes

How To Cite this Article

डॉ. कांता चौधरी, मंजू कंवर . राजस्थान में ग्रामीण विकास में नाबार्ड की भूमिका का अध्ययन. Indian J Mod Res Rev. 2025;3(11):102-106.

KEYWORDS: नाबार्ड, ग्रामीण विकास, कृषि ऋण, स्वयं सहायता समूह (एसएचजी), गैर-निष्पादित आस्तियाँ (एनपीए), ऋण वितरण, राजस्थान, वित्तीय समावेशन, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सूक्ष्म वित्त, ऋण वसूली, जोखिम प्रबंधन, ग्रामीण अवसंरचना, सहकारी ऋण

© 2025 डॉ. कांता चौधरी, मंजू कंवर. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY NC ND).https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

1. प्रस्तावना

ग्रामीण विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो किसी भी देश के समग्र विकास की नींव होती है। यह विकास नीचे के स्तर, यानी गांवों से शुरू होकर धीरे-धीरे आगे बढ़ता है। भारत में ग्रामीण क्षेत्र बहुत महत्वपूर्ण हैं, लेकिन संसाधनों की कमी के कारण यहां विकास की गति अपेक्षाकृत धीमी रहती है।

भारत सरकार ने कृषि, कुटीर उद्योग और ग्रामीण उद्योगों के विकास के लिए ऋण उपलब्ध कराने तथा विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से नाबार्ड की स्थापना की। नाबार्ड द्वारा कृषि गतिविधियों के लिए ऋण प्रवाह में लगातार वृद्धि हुई है। भारतीय अर्थव्यवस्था भी निरंतर विकास की ओर अग्रसर है और इसमें ग्रामीण तथा कृषि क्षेत्र का योगदान महत्वपूर्ण है।

नाबार्ड ने ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि के माध्यम से गांवों में सड़कों, पुलों, सिंचाई, स्वास्थ्य, शिक्षा और जल संरक्षण जैसी कई परियोजनाओं को समर्थन दिया है। अब तक लाखों परियोजनाओं को मंजूरी दी जा चुकी है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं का विकास हुआ है। इसके अलावा, ग्रामीण नवाचार को बढ़ावा देने के लिए विशेष कोष बनाए गए हैं, जिनका उद्देश्य रोजगार के नए अवसर पैदा करना और आजीविका को मजबूत करना है।

2. साहित्य समीक्षा

राजशेखर एवं रामचन्द्र (2012) का अध्ययन बड़े पैमाने पर सार्वजनिक कार्यों का अध्ययन करता है, जैसे कि भारत सरकार द्वारा चलाया गया राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी तथा कृषि मजदूरी पर इसके प्रभाव का अध्ययन किया। भारत के लगभग 250 जिलों में मासिक आँकड़ों पर आधारित था और पता किया कि एन.आर.ई.जी. ने द्वारा दी गई रोजगार सुविधा के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति की रोजगार ने प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन खेती के पारिश्रमिक को 1.6 प्रतिशत तक बढ़ा दिया था।

डाॅ.एस.के.वर्मा (2012)61 के अनुसार देश के सर्वोमुखी विकास के लिए सहकारिता एक आवश्यक जरूरत के रूप में उभरकर आई है। समग्र विकास व वृद्धि, सामाजिक न्याय और गरीबी उन्मूलन आदि समस्याएं विकास वृद्धि से जुड़ी हुई ही रहती हैं। हरित व श्वेत क्रांति के उदय के साथ ही ग्रामीण क्षेत्र में बदलाव आया हैं। नये उत्पादों व सेवाओं का चलन हमारे जीवन का एक भाग बनता जा रहा हैं।

कपूर (2013) ने प्रश्न उठाया कि आर्थिक विकास ही गरीबी कम करने में समर्थ है और अनेकों राज्यों के अनुमान की सहायता से पता चलता है कि कुछ मामलों में उच्च आर्थिक विकास गरीबी कम करने में आशानुरूप कारगर सिद्ध नहीं हो पाया है बल्कि कुछ कम औसत काम करने वालों ने गरीबी के अंक को बढ़ा दिया है।

सिद्दापा, बी. (2014) ने अपने अध्ययन में ग्रामीण बैंकों का कमजोर वर्ग के रोजगार पर प्रभाव का अध्ययन किया। यह अध्ययन उतरप्रदेश राज्य पर आधारित था। रायबरेली में 174 महिला लाभार्थियों के अपने अध्ययन में क्रेडिट की चार औपचारिक एजेंसियों यानी सीबीआर, आरआरबी एंड पीएसीएस (प्राथमिक कृषि सोसायटी) आदि से यादृच्छिक रूप से कवर किया। अध्ययन क्षेत्र में यह देखा गया कि महिलाओं द्वारा लिए गए 83 प्रतिशत ऋण मामले; पुरुष सदस्य मुख्य रूप से क्रेडिट के उपयोग के लिए जिम्मेदार थे।

राजा, राव ए. (2016) ने अपने अध्ययन में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का कमज़ोर वर्गों की आय और रोजगार पर प्रभाव का अध्ययन किया है। इन्होंने अपने अध्ययन से यह निष्कर्ष प्राप्त किया कि बैंक का यह प्रयास रहा है कि क्षेत्रीय कृषकों की आवश्यकताओं क¨ ध्यान में रखकर अधिक से अधिक ऋण सुविधाएं प्रदान करते हुए उन्हें आर्थिक रूप से सक्षम बनाया जाए, साथ ही आर्थिक समृद्धि की दिशा में अकृषि कार्यक्रम के अंतर्गत लघु एवं कुटीर उद्योगों की स्थापना के साथ ग्रामीण क्षेत्र में लघु सड़क परिवहन के अंतर्गत ऋण सुविधाएं भी उपलब्ध कराई गई है। इसके अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों में कुएं खोदने, पम्पसेट लगाने तथा कृषि यंत्रीकरण के लिए किसानों को ऋण एवं साख सुविधाओं की आवश्यकता पड़ती है।

S. Senapati, A. Bhatiya (2018) ने बताया कि भारत में मुख्य रूप से कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था हैं, जहां लगभग 70 प्रतिशत आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती हैं। कृषि गतिविधियों के लिये प्राथमिक कृषि साख समितियां सहकारी ऋण संरचना का आधार बनाती हैं। संस्थागत ऋण की पर्याप्त व समय पर उपलब्धता कृषि विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। विशेष रूप से कृषि क्षेत्र की उत्पादकता बढ़ाने तथा किसान समुदायों के जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं।

अध्ययन के निष्कर्षों का डेटा के रूप में टकराव होना नहीं था, लेकिन साथ ही साथ कार्य किए जाने की जानकारी भी थी। साहित्य की उपरोक्त समीक्षा बस यह प्रदर्शित करती है कि शायद ही कोई अध्ययन हो, जो भारत में और विशेष रूप से राजस्थान राज्य में आर्थिक विकास में नाबार्ड की भूमिका और प्रदर्शन पर केंद्रित है। अनुभवजन्य आंकड़ों, तथ्यों और आंकड़ों का अभाव है और प्रासंगिक साहित्य राजस्थान राज्य में विशेष रूप से नाबार्ड के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका को उजागर करता है।

© 2025 डॉ. कांता चौधरी, मंजू कंवर. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY NC ND).https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

3. अध्ययन के उद्देश्य

अध्ययन निम्नलिखित उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए आयोजित किया गया है-

1. राजस्थान में ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर नाबार्ड के प्रभाव का आकलन करने के लिए।

2. राजस्थान में ग्रामीण एवं कृषि विकास को बढ़ावा देने में नाबार्ड द्वारा ऋण सहायता की समस्याओं और संभावनाओं का अध्ययन करना।

4. विश्लेषण

नाबार्ड के हस्तक्षेप से सुगम राजस्थान के ग्रामीण विकास में कई आशाजनक अवसर हैं, जिनका उपयोग सतत विकास और सामाजिक-आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए किया जा सकता हैः

- **मज़बूत स्वयं सहायता समूह नेटवर्क**

राजस्थान में स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) का एक मज़बूत नेटवर्क है, खासकर महिलाओं के नेतृत्व वाले समूह, जो वित्तीय समावेशन और ज़मीनी स्तर पर उद्यमिता के लिए एक महत्वपूर्ण आधारशिला हैं। नाबार्ड के निरंतर पुनर्वित्त सहायता और क्षमता निर्माण कार्यक्रमों ने कई स्वयं सहायता समूहों को कृषि, डेयरी, हस्तशिल्प और सूक्ष्म उद्यम क्षेत्रों में आय-सृजनकारी गतिविधियों का विस्तार करने में मदद की है।

- **कृषि निर्यात क्षमता**

राज्य के कृषि-जलवायु क्षेत्र मसालों (जैसे जीरा और धनिया), दालों और डेयरी उत्पादों की खेती के लिए उपयुक्त हैं, और इनमें निर्यात की अपार संभावनाएँ हैं। उचित ऋण सहायता, मूल्य श्रृंखला विकास और बुनियादी ढाँचे के साथ, ये क्षेत्र ग्रामीण आय में उल्लेखनीय वृद्धि और रोज़गार सृजन कर सकते हैं।

- **शुष्क क्षेत्रों में नवीकरणीय ऊर्जा**

राजस्थान के विशाल शुष्क और अर्ध-शुष्क क्षेत्र सौर ऊर्जा परियोजनाओं के लिए एक प्राकृतिक लाभ प्रस्तुत करते हैं। सौर ऊर्जा चालित सिंचाई पंपों और माइक्रोग्रिड सहित नवीकरणीय ऊर्जा वित्तपोषण के लिए नाबार्ड का प्रयास, राज्य की विकास आवश्यकताओं के अनुरूप है, स्वच्छ ऊर्जा समाधान प्रदान करता है और महंगे एवं अविश्वसनीय पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों पर निर्भरता कम करता है।

प्रतिबंध इन अवसरों के बावजूद, राजस्थान में नाबार्ड की ग्रामीण विकास योजनाओं के इष्टतम उपयोग में कई चुनौतियाँ बाधा डालती हैः

- **ऋण वसूली और एनपीए का बोझ**

कृषि ऋणों में उच्च गैर-निष्पादित आस्तियाँ (एनपीए) एक गंभीर समस्या बनी हुई हैं। सूखे के कारण फसल की विफलता, कीमतों में उतार-चढ़ाव और अनौपचारिक ऋण जैसे कारकों ने ऋण चुकौती में देरी या चूक को बढ़ावा दिया है, जिससे प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पीएसीएस) और बैंकों की स्थिति प्रभावित हुई है, जिससे आगे ऋण प्रवाह बाधित हुआ है।

- **जनजातीय क्षेत्रों में बैंकिंग की कम पहुँच**

डूंगरपुर, बांसवाड़ा और उदयपुर जैसे जनजातीय जिलों में बैंकिंग बुनियादी ढाँचा और पहुँच सीमित है। इससे औपचारिक ऋण और वित्तीय साक्षरता तक पहुँच कम हो जाती है, जिससे उच्च ब्याज दरों वाले अनौपचारिक ऋण स्रोतों पर निर्भरता बनी रहती है।

- **बटाईदार किसानों के लिए ऋण सुविधा**

दूसरों की ज़मीन पर खेती करने वाले बटाईदार किसानों का एक बड़ा हिस्सा ज़मीन के मालिकाना हक़ या औपचारिक किरायेदारी समझौतों के अभाव में औपचारिक ऋण चैनलों से बाहर रहता है। इससे राजस्थान की कृषि अर्थव्यवस्था में कमज़ोर किसानों के एक महत्वपूर्ण वर्ग को सहायता प्रदान करने में नाबार्ड की क्षमता सीमित हो जाती है।

तालिका 1: जिलावार नाबार्ड ऋण निष्पादन और एनपीए रुझान ;राजस्थानद्ध (2011.2025)

ज़िला	कुल नाबार्ड ऋण वितरित (करोड़ रुपये)	ऋण वसूली दर (%)	एनपीए अनुपात (%)	जुड़े हुए स्वयं सहायता समूहों की संख्या	प्रति SHG औसत ऋण (लाख रुपये)
जयपुर	3,850	92.0	8.0	42,000	0.75
जोधपुर	3,100	88.5	11.5	34,500	0.70
उदयपुर	2,950	87.0	13.0	36,000	0.68
अजमेर	2,400	90.2	9.8	26,500	0.72
कोटा	2,150	92.5	7.5	22,000	0.74
बीकानेर	1,980	85.8	14.2	18,500	0.66
अलवर	2,600	89.3	10.7	29,000	0.71

© 2025 डॉ. कांता चौधरी, मंजू कंवर. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY NC ND).https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

बाड़मेर	1,450	84.2	15.8	15,500	0.62
दौसा	1,720	87.5	12.5	19,000	0.69
भीलवाड़ा	2,250	90.8	9.2	24,000	0.73
पाली	2,000	88.9	11.1	20,500	0.70

स्रोतः नाबार्ड राजस्थान क्षेत्रीय कार्यालय डेटा, 2025

2011 से 2025 तक के संचयी आँकड़े राजस्थान के प्रमुख जिलों में नाबार्ड के ऋण आवंटन और वसूली की गतिशीलता के दीर्घकालिक पैटर्न को दर्शाते हैं। विश्लेषण ऋण वितरण, वसूली दरों, एनपीए स्तरों, स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) लिंकेज और औसत ऋण आकार पर केंद्रित है, जिससे जिलावार वित्तीय प्रदर्शन और संस्थागत क्षमता का तुलनात्मक आकलन संभव होता है।

ऋण वितरण

- जयपुर ₹3,850 करोड़ के पर्याप्त ऋण वितरण के साथ अग्रणी जिला बनकर उभरा है, जो उच्च कृषि, सेवा और संबद्ध आर्थिक गतिविधियों के साथ एक प्रमुख क्षेत्रीय केंद्र के रूप में इसकी भूमिका को दर्शाता है।
- जोधपुर (₹3,100 करोड़), उदयपुर (₹2,950 करोड़) और अजमेर (₹2,400 करोड़) इसके बाद आते हैं, जो पश्चिमी और दक्षिणी राजस्थान में महत्वपूर्ण ग्रामीण ऋण गतिविधि को प्रतिबिंबित करते हैं।
- बाड़मेर (₹1,450 करोड़) और पाली (₹2,000 करोड़) जैसे अपेक्षाकृत छोटे जिलों को मध्यम संवितरण प्राप्त हुआ है, जो निधि अवशोषण क्षमता और आर्थिक संरचना में क्षेत्रीय असमानताओं को उजागर करता है।

ऋण वसूली और एनपीए अनुपात

- ऋण वसूली दर सामान्यतः अधिकांश जिलों में सुदृढ़ रही है, कोटा (92.6%) और जयपुर (92. %) में मजबूत पुनर्भुगतान अनुशासन परिलक्षित होता है।
- बाड़मेर (84.2%) और बीकानेर (85.8%) में वसूली दर तुलनात्मक रूप से कम रही है, जो प्रतिकूल कृषि-जलवायु परिस्थितियों, सीमित आय विविधीकरण या सामाजिक-आर्थिक कमजोरियों से जुड़ी पुनर्भुगतान चुनौतियों को दर्शाती है।
- एनपीए अनुपात वसूली दरों के साथ विपरीत सहसंबंध प्रदर्शित करता है। बाड़मेर (15.8%) और बीकानेर (14.2%) में एनपीए स्तर अपेक्षाकृत अधिक हैं, जो तनावग्रस्त ऋण पोर्टफोलियो की ओर संकेत करते हैं।
- पाली जिला, जिसका एनपीए अनुपात 11.1% है, मध्यम श्रेणी में आता है, किंतु यह उन्नत ऋण निगरानी और सहायता प्रणालियों की आवश्यकता को इंगित करता है।

एसएचजी लिंकेज और ऋण आकार

- जयपुर (42,000 समूह) और उदयपुर (36,000 समूह) में एसएचजी लिंकेज सर्वाधिक है, जो सूक्ष्म वित्त योजनाओं और ग्रामीण आजीविका कार्यक्रमों में सक्रिय भागीदारी को दर्शाता है।
- पाली का 20,500 स्वयं सहायता समूहों के साथ जुड़ाव एक मजबूत जमीनी नेटवर्क को इंगित करता है, जो वित्तीय समावेशन और महिला सशक्तिकरण में योगदान दे रहा है।
- प्रति स्वयं सहायता समूह औसत ऋण राशि लगभग 0.62 से 0.75 लाख रुपये के बीच है, जिससे जिलों में ऋण सहायता के पैमाने में तुलनात्मक एकरूपता बनी रहती है।

निष्कर्ष

अध्ययन यह भी दर्शाता है कि प्रभावी जोखिम प्रबंधन के अभाव में ऋण विस्तार अपने विकासात्मक उद्देश्य को पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं कर सकता। केवल ऋण उपलब्ध कराना पर्याप्त नहीं है; इसे बीमा, सामाजिक सुरक्षा और आजीविका विविधीकरण जैसी उपायों के साथ एकीकृत किया जाना आवश्यक है। इस दृष्टिकोण से ऋण का वितरण न केवल किसानों की उत्पादन क्षमता बढ़ाता है, बल्कि उनकी आय स्थिरता और आर्थिक सुरक्षा को भी सुनिश्चित करता है।

इस अध्ययन से यह निष्कर्ष निकलता है कि ऋण ग्रस्तता केवल वित्तीय समस्या नहीं है, बल्कि यह प्राकृतिक जोखिम, बाजार अस्थिरता और आय असंतुलन का समेकित परिणाम है। इस स्थिति में, संस्थागत ऋण को दीर्घकालिक, सतत और जोखिम-संवेदनशील दृष्टिकोण से प्रबंधित करना अनिवार्य है। जब ऋण और जोखिम प्रबंधन एकीकृत रूप से लागू होते हैं, तब ही ग्रामीण विकास की प्रक्रिया अधिक स्थिर, उत्तरदायी और टिकाऊ बन सकती है।

सुझाव

उपरोक्त समस्याओं के समाधान तथा ग्रामीण एवं कृषि विकास को अधिक प्रभावी, समावेशी एवं टिकाऊ बनाने हेतु निम्नलिखित सुझाव प्रस्तुत किए जाते हैं

- क्षेत्र-विशिष्ट ऋण नियोजन को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। प्रत्येक क्षेत्र की कृषि संरचना, जलवायु परिस्थितियाँ, संसाधन उपलब्धता और बाजार संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए ऋण योजनाओं का निर्माण किया जाना चाहिए। इससे

© 2025 डॉ. कांता चौधरी, मंजू कंवर. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY NC ND).https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

संसाधनों का अधिक उत्पादक और संतुलित उपयोग सुनिश्चित होगा।

- संस्थागत क्षमता सुदृढ़ीकरण पर विशेष बल दिया जाना चाहिए। सहकारी समितियों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों तथा स्थानीय वित्तीय संस्थाओं को तकनीकी प्रशिक्षण, डिजिटल अवसंरचना तथा प्रबंधन सुधारों के माध्यम से सशक्त किया जाना आवश्यक है। एक मजबूत संस्थागत ढाँचा ही अंतिम लाभार्थी तक प्रभावी वित्तीय पहुँच सुनिश्चित कर सकता है।
- ऋण और जोखिम प्रबंधन का एकीकरण अनिवार्य किया जाना चाहिए। फसल बीमा, मौसम आधारित बीमा, मूल्य स्थिरीकरण तंत्र और आपदा राहत उपायों को ऋण वितरण से जोड़ा जाए। इससे किसानों की ऋण चुकौती क्षमता सुदृढ़ होगी और वित्तीय प्रणाली की स्थिरता बनी रहेगी।
- वित्तीय साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रमों का विस्तार किया जाना चाहिए। ग्रामीण परिवारों को ऋण प्रबंधन, बचत, बीमा और निवेश के विषय में प्रशिक्षित करने से ऋण का उत्पादक उपयोग बढ़ेगा तथा ऋण ग्रस्तता की समस्या कम होगी।
- अवसंरचना निवेश को दीर्घकालिक रणनीति के रूप में अपनाया जाए। सिंचाई, सड़क, भंडारण, शीत गृह और विपणन अवसंरचना में निरंतर निवेश से उत्पादन स्थिरता, बाजार पहुँच
  और आय विविधीकरण सुनिश्चित होगा।
- डिजिटल वित्तीय सेवाओं और डेटा-आधारित निगरानी तंत्र को सुदृढ़ किया जाए। पारदर्शिता, समयबद्ध मूल्यांकन और वास्तविक समय डेटा विश्लेषण से नीति निर्माण अधिक सटीक और उत्तरदायी बनेगा।
- आजीविका विविधीकरण को प्रोत्साहन दिया जाए। कृषि आधारित प्रसंस्करण, लघु उद्योग, ग्रामीण उद्यमिता और सेवा क्षेत्र के विकास से आय स्रोतों में स्थिरता आएगी और जोखिम संतुलन संभव होगा।

इन नीतिगत सिफारिशों को लागू करने से राजस्थान और उसके बाहर नाबार्ड के पुनर्वित्त कार्यों और ग्रामीण ऋण पारिस्थितिकी तंत्र की पहुँच, दक्षता और विकासात्मक प्रभाव में उल्लेखनीय सुधार हो सकता है।

संदर्भ

1. अम्मान्नामा केके. बैंकों में लाभदायकता और उत्पादकता. कुरूक्षेत्र. 1982;35-39.
2. ठाकुर एसवाई. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की उत्पादकता. कुरूक्षेत्र. 1983;65-68.
3. बीवनएल बीएन. एग्रीकल्चरल बैंकिंग इन इंडिया. नई दिल्ली: नेशनल पब्लिशिंग हाउस; 1983.
4. सक्सेना आरबी. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की भूमिका. खादी ग्रामोद्योग. 1983.
5. देसाई एसएस. रूरल बैंकिंग इन इंडिया. कुरूक्षेत्र. 1983.
6. बोला रविकुमार. ग्रामीण अर्थव्यवस्था एवं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक. कुरूक्षेत्र. 1984.
7. कावडिया ग, जैन व. प्रदेश में ग्रामीण बैंकिंग विकास. ग्रामोद्योग. दिसम्बर 1984:145-151.
8. रहमान जेड. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और rural अर्थव्यवस्था. कुरूक्षेत्र. 1986.
9. बापना एमएस. रिजनल रूरल बैंक्स: देयर बैंकिंग एण्ड ग्रोथ. आईबीए बुलेटिन. मार्च 1988.
10. टेब्बार एआरके. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की समस्याएँ. कुरूक्षेत्र. 1989.

Creative Commons (CC) License

This article is an open-access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY 4.0) license. This license permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.

© 2025 डॉ. कांता चौधरी, मंजू कंवर. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY NC ND).https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/